

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

राजेश बनाम रामनिवास वगै०

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु.न. 73/22

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
-------------	--	---

17.06.2022

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा० अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस , सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः अप्रार्थीगणों को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा करोड़ी तह० सिकराय जिला दौसा के ख०न० 379, 380, 361, 362 एवं वाके रामा खेड़ापहाड़पुर तह० सिकराय के खसरा नम्बर 22, 23, 40 में प्रार्थी के हिस्से तक भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगणो की तलवी की जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नियत दिनांक 13.07.2022 को पेश हो ।

27.6.22 मूल वादी के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा० अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस , सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नियत दिनांक 13.07.2022 को पेश हो ।

(Handwritten signature)

27/6/22